

फर्ड अहकाम  
(नियम-26)

अदालत

(नज़रशोखीनी)  
सहायक अधीक्षक  
(SDO) बालोतरा  
बासोतरा

नियम

बनाम राज. राजस्व जरिये क्र. 6 पंचप्रदरा

स्म मुकदमा

43 151 CPL

नं. 6 सन 2022

नव्वर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

06-1-22

प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ~~अशोक-श्रीमाली~~  
ने यह प्रार्थना पत्र /वाद/अपील धारा 151 CPL  
राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।  
जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस क्रि-आ.  
/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13-01-2022  
को पेश हो।

(नज़रशोखीनी)  
सहायक अधीक्षक  
(SDO) बालोतरा

13-01-22

गर्धी के वकील उजवा  
विप्रार्थीगत अनुवा  
गर्धी के वकील ने गर्धीना - पत्र  
पेश कर निवेदन किया गया कि  
उपरोक्त गर्धीना - पत्र में शीमान के  
द्वारा किसी प्रकार का न्यायिक  
करके वा उदान नहीं किया गया  
जिसके उपरोक्त प्रकार के उद्घुत्र



(नज़रशोखीनी)  
सहायक अधीक्षक  
(SDO) बालोतरा



~~प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता को  
 सुनाई करते हुए उचित आदेश  
 प्रदान करने का निर्देश देना  
 गया, प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी के  
 वकील की बटल सुनी गई।  
 पंचायती का अवलोकन किया गया,  
 वरिष्ठ अवलोकन यह पाया गया कि  
 तहसीलदार, पंचायतों के द्वारा  
 धारा 130, 131, 136 <sup>RWA</sup> ~~या~~ यू.अडिजेड  
 नियम 1970 के नियम 60 के अंतर्गत  
 प्रार्थना-पत्र प्रशासन गंतव्य के अंतर्गत  
 कठिनायन के रूप में कोई बुझीवड़ा में  
 खातेदारी मुक्ति में से कमीती रूप से  
 अवागमन हेतु संचालित बाटमी रास्ते  
 के कल में दर्ज कराने का निर्देशन  
 करने पर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को  
 दि. 9.11.2021 को केस कोर्ट बुझीवड़ा  
 में स्वीकार किया गया है. प्रार्थी  
 के द्वारा बाटमी रास्ते को दर्ज करने  
 हेतु तहसीलदार पंचायतों द्वारा वरिष्ठ  
 जांच एवं सन्तुष्टि के पश्चात ही प्रार्थनी~~



(निर्देश सिद्धि)  
 उपरोक्त अधिकारी  
 बालोतरा

~~रास्ता को दफ्त कराने का निवेदन करने पर भी इस न्यायालय के द्वारा उस्तावित नक्शा में निर्दिष्ट रास्ता को दफ्त कराने के आदेश जारी किये जाते हैं।~~

~~गार्डी हाथीराम के द्वारा उस्तावित गार्डिया-जम 151 084 के द्वारा~~

~~इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि. 09-11-2021 के विरुद्ध अपील अर्पित जारी कराने का निवेदन~~

~~किया गया है, इसी सन्दर्भ में गार्डी के द्वारा राजस्व आवेदन~~


~~सं. 347/2021 अन्वयत हाथीराम 13~~


~~नैरुदेवी उस्तावित किया गया था,~~

~~जिसमें दि. 13.01.2022 को गार्डी~~

~~के द्वारा अवकाह किये जाते करीमी रास्ता को खोले जाने के आदेश~~


~~जारी किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में गार्डी के द्वारा उस्तावित आवेदन~~



  
मुख्य अधिकारी  
महाराष्ट्र

तारीख  
हुक्म

~~पत्र का कोई कोण्डिशन नहीं है  
होना है लिखा जा गया है इस  
प्रकार नहीं पत्र को इसी स्टेज  
पर अस्वीकार कर कार्रवाई किया  
जाता है।~~



~~प्रणयनी लेख्य शुमार होकर  
कम्प्लेट हो कम हो।~~

~~किरीट भाग दि 13-01-2022 को  
सुले न्यायालय में सुनाया गया।~~

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालेश्वर